न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज, जिला बारां, राज0

पीठासीन अधिकारी चंदन दुबे (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं0 45/19
दायरा दिनांक 16.05.2019
निर्णय दिनांक 21.06.2019

बउनवान

1.पवन कुमार उम्र 40 वर्ष पुत्र शंकर लाल जाति लोधी निवासी दुर्जनपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र घासीलाल जाति लोधी निवासी दुर्जनपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
2. कल्याणी बाई पुत्री घासीलाल पत्नी हरनारायण जाति लोधी निवासी दुर्जनपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) हाल निवासी ग्वारखेडा तहसील बमोरी जिला गुना (म0प्र0)
3. जयनारायण पुत्र शंकरलाल जाति लोधी निवासी दुर्जनपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
4. पुरूषोत्तम पुत्र शंकरलाल जाति लोधी निवासी दुर्जनपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
5. कैलाश बाई पुत्र शंकरलाल पत्नी ओमप्रकाश जाति लोधी निवासी दुर्जनपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) हाल निवासी मामला तहसील बमोरी जिला गुना (म0प्र0)
6. रूकमणी बाई पुत्री शंकरलाल पत्नी सूरजमल जाति लोधी निवासी दुर्जनपुरा हाल निवासी सिमलोद तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
7. भूली बाई पुत्री शंकरलाल पत्नी पुरूषोत्तम जाति लोधी निवासी दुर्जनपुरा हाल निवासी सिमलोद तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
8. पार्वती बाई पुत्री शंकरलाल पत्नी अमरसिंह जाति लोधी निवासी दुर्जनपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) हाल निवासी ग्वारखेडा तहसील बमोरी जिला गुना (म0प्र0)
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,90,188 53,, आर0टी 0एक्ट 136

निर्णय दिनांक :–21.06.2019

वादीगण की ओर से वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,188,53 आर0टी0 एक्ट जरिये अभिभाषक श्री सत्यनारायण गोयल ने इस आशय का पेश किया कि–

1. यह कि ग्राम दुर्जनपुरा पटवार हल्का मामली तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) में आराजियात् खेवट खतोनी नई 99 पुरानी 95 ख0न0 27 रकबा 1.12 बीघा किस्म बारानी 2 लगानी 0.64रू0,ख0न0 42 रकबा 0.07 बीघा किस्म खेडा 2 लगानी 0.42 रू,ख0न0 46 रकबा 1.07 बीघा किस्म खेडा 2 लगानी 1.62 रू0, ख0न0 92 रकबा 21.16 बीघा किस्म बारानी 2 लगानी 8.72 रू0,ख0न0 98 रकबा 18.13 बीघा किस्म बारानी तृतीय लगानी 4.66 रू कुल किता 5 कुल रकबा 43.15 बीघा स्थित है एवं ग्राम दुर्जनपुरा पटवार हल्का मामनी तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) में आराजियात् खेवट खतोनी नई 10,पुरानी 95 ख0न 91/1 रकबा 2.07 बीघा किस्म बारानी तृतीय 00 लगानी 0.59 रू0 स्थित है। जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है जो वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 की पुश्तेनी आराजी है। इस मद में वर्णित आराजियात् को वाद पत्र में वादग्रस्त आराजियात् के नाम से सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि वादग्रस्त आराजीयात् का पूर्व में एक ही खाता था अनुसार जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 से मद नं0 1 मे वर्णित आराजियात् की स्थिति निम्न प्रकार थी।

ग्राम दुर्जनपुरा पटवार हल्का मामली तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) में आराजियात् खेवट खतोनी नई 95 पुरानी 95 ख0न0 27 रकबा 1.12 बीघा किस्म बारानी 2 लगानी 0.64 रू0,ख0न0 42 रकबा 0.07 बीघा किस्म खेडा 2 लगानी 0.42 रू,ख0न0 46 रकबा 1.07 बीघा किस्म खेडा 2 लगानी 1.62 रू0, ख0न0 91/1 रकबा 2.07 बीघा किस्म बारानी तृतीय लगानी 0.59 रू0 ख0न0 92 रकबा 21.16 बीघा किस्म बारानी 2 लगानी 8.72 रू0,ख0न0 98 रकबा 18.13 बीघा किस्म बारानी तृतीय लगानी 4.66 रू कुल किता 6 कुल रकबा 46.02 बीघा थी। इस भूमि में प्रतिवादियां क्रम 2 कल्याणी बाई द्वारा अपने हिस्से का हकत्याग प्रतिवादी क्रम 1के पक्ष में करने से इस मद मे वर्णित सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि कुल रकबा 46.02 बीघा प्रतिवादी क्रम 1 के नाम दर्ज हो गई परन्तु सहवन से लिपिकीय त्रुटि के कारण अवैधानिक रूप से राजस्व कर्मचारियों ने इसी इंतकाल नं0 474 दिनांक 05.10.2012 से इस मद में वर्णित वादग्रस्त भूमि ख0न0 91/1 रकबा 2.07 बीघा का प्रतिवादिया क्रम 2 के नाम से अलग खाता कर दिया। इस कारण वादी इन्द्राज दुरूस्ती करवाकर प्रतिवादिया क्रम 2 का नाम हटवाकर वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित दोनो खातो की भूमि को प्रतिवादी क्रम 1 के नाम दर्ज करवाकर कुल वादग्रस्त भूमि रकबा 46.02 बीघा का एक ही खाता करवाने का अधिकारी एवं नालिशी है।

3. यह कि वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित भूमि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 की पुश्तेनी आराजियात् है जो प्रतिवादी क्रम 1 को अपने पूर्वजों की विरासत से प्राप्त हुई है। प्रतिवादी क्रम 1 के वर्तमान में 3 पुत्र वादी पवन कुमार एवं प्रतिवादी कम 3 जयनारायण प्रतिवादी कम 4 पुरूषोत्तम एवं पुत्रियां प्रतिवादिया कम 5 केलाश बाई प्रतिवादीया कम 6 रूकमणी बाई प्रतिवादिया कम भूलीबाई प्रतिवादिया कम 8 पार्वतीबाई इनके अलावा विवादित आराजी मे हक एवं अधिकारी जताने वाला अन्य कोई प्रतिवादी कम 1 का वारिस वर्तमान में जीवित नही है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी कम 1 को वादी के पूर्वजों से प्राप्त हुई है इस कारण विवादित भूमि में वादी का कानूनी पेमाईशी हक है वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुये मौखिक बंटवारे के अनुसार विवादित भूमि वर्णित मद नं0 1 व 2 वाद पत्र कुल रकबा 46.02 बीघा मे से वादी पवन कुमार एवं प्रतिवादी कम 3 जयनारायण एंव प्रतिवादी कम 4 पुरूषोत्तम प्रत्येक को 1/3,1/3,1/3 हिस्सा प्राप्त हुआ है वादी एवं प्रतिवादी कम 3 व 4 मौखिक विभाजन के अनुसार प्राप्त विवादित भूमि पर काबिज काश्त करने चले आ रहे है। इस कारण वादग्रस्त आराजी कुल रकबा 46.02 बीघा वर्णित मद नं0 1 व 2 के 1/3 हिस्से पर वादी स्वयं को खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है। एवं प्रतिवादी कम 3 व 4 को विवादित भूमि कुल 46.02 बीघा के 1/3,1/3 हिस्से पर खातेदार घोषित किये जाने मे वादी को कोई आपत्ति नही है।
4. यह कि वादी एवं प्रतिवादी कम 1 ता 8 का संयुक्त हिन्दू परिवार है जिसका विभाजन नही हुआ है। वादी एवं प्रतिवादी कम 3 व 4 मद नं0 1 व 2 वाद पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि मे से मौखिक विभाजन मे प्राप्त भूमि के अपने अपने हिस्सो पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है परन्तु प्रतिवादी कम 1 व 2 अनाधिकृत जबरन वादी को उसकी जायज हक से वंचित करने के उददेश्य से मद नं0 1 व 2 वाद पत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजियात् को रहन बेचान व अन्य प्रकार से अन्तरण कर खुर्द बुर्द करने व वादी को उसके हिस्से से बेदखल करने पर आमादा है इस कारण वादी खिलाफ प्रतिवादी कम 1 व 2 स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी एवं नालिशी है।
5. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण कम 3 व 4 के मध्य आपस मे सीमा विवाद होता रहता है इस कारण वादी ने प्रतिवादीगण से विवादित भूमि का विभाजन करने का निवेदन दिनांक 15.02.19 को किया परन्तु उन्होने विभाजन करने से इन्कार कर दिया इस कारण वादी मौखिक विभाजन में प्राप्त भूमि के अनुसार खातेदार घोषित करवाने व विवादित भूमि का विभाजन राजस्व रिकॉर्ड में करवाने का अधिकारी एवं नालिशी है।
6. यह कि वादी ने राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि तहसीलदार किशनगंज को दिनांक 15.02.19 को इस बाबत् निवेदन किया परन्तु उन्होने कोई सहायता नही की । तथा दावा करने की सलाह दी यही से वादकारण पैदा हुआ। दिनांक 15.02.19 को प्रतिवादी कम 1 व 2 ने वादी के हकूक मानने से मना कर दिया। प्रतिवादी कम 1 व 2 ने दिनांक 15.02.19 को वादी को धमकी दी कि चाहे लाशे गिर जाये विवादित भूमि वर्णित मद नं0 1 वाद पत्र में स्थित भूमि को रहन बेचान व अन्य प्रकार से अन्तरण कर खुर्द बुर्द करके रहेगे। तथा वादी को मौखिक विभाजन में प्राप्त भूमि से बेदखल करके रहेगे। इस कारण वादी खिलाफ प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी एवं नालिशी है।

7. यह कि वादी द्वारा राजस्थान सरकार को जर्ये जिला कलक्टर महोदय बारां के अपने अधिवक्ता के मार्फत 16.05.19 को अन्तर्गत धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस अवधि 2 माह प्रेषित कर दिया है परन्तु वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण 2 माह तक इंतजार किया जाना संभव नही है। इस कारण वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण 80(2) सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है।
8. यह कि वाद कारण दिनांक 15.02.19 को उत्पन्न हुआ।
9. यह कि वाद उचित न्यायशुल्क पर माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार मे अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर चरण क्रम 1 व 2 वाद पत्र में वर्णित आराजियात् ग्राम दुर्जनपुरा पटवार हल्का मामली तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) मे स्थित कुल किता 6 कुल रकबा 46.02 बीघा के राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती कर दोनो खातो की भूमि का एक ही खाता बनाया जाकर प्रतिवादीया क्रम 2 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर विवादित भूमि कुल किता 6 कुल रकबा 46.02 बीघा वर्णित मद नं0 1व 2 वाद पत्र के हिस्से 1/3 पर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के स्थान पर वादी का नाम दर्ज किया जाकर विवादित भूमि का विभाजन किया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में पृथक पृथक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे एवं विवादित भूमि वादी के हक में खिलाफ प्रतिवादीगण आदेशात्मक एवं निषेधात्मक स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर वादी के हकूक मे दखलंदाजी न करने के लिए प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट सरिस्ता ली गई प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस सम्मन जारी किये/ नियत तिथि को क्रम 1 ता 8 उपस्थित। प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 की और से एड0 एस0के0 राणा ने वकालतनामा पेश किया उभयपक्ष ने राजीनामा इस आशय का पेश किया:–

1. यह कि ग्राम दुर्जनपुरा पटवार हल्का मामली तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) में आराजियात् खेवट खतोनी नई 99 पुरानी 95 ख0न0 27 रकबा 1.12 बीघा किस्म बारानी 2 लगानी 0.64रू0,ख0न0 42 रकबा 0.07 बीघा किस्म खेडा 2 लगानी 0.42 रू,ख0न0 46 रकबा 1.07 बीघा किस्म खेडा 2 लगानी 1.62 रू0, ख0न0 92 रकबा 21.16 बीघा किस्म बारानी 2 लगानी 8.72 रू0,ख0न0 98 रकबा 18.13 बीघा किस्म बारानी तृतीय लगानी 4.66 रू कुल किता 5 कुल रकबा 43.15 बीघा स्थित है एवं ग्राम दुर्जनपुरा पटवार हल्का मामनी तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) में आराजियात् खेवट खतोनी नई 10,पुरानी 95 ख0न 91/1 रकबा 2.07 बीघा किस्म बंजड लगानी 2.07 रू0 स्थित है। जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है जो वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 की पुश्तेनी आराजी है।
2. यह कि वादग्रस्त आराजियात् के सम्बन्ध मे वादी एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 8 के मध्य वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में राजीनामा हो गया है राजीनामा निम्न प्रकार है–

(1) यह कि राजीनामे मे वादी पवन कुमार को प्राप्त भूमि

ग्राम	खाता सं0	ख0न0	रकबा
दुर्जनपुरा	99	27	10 बिस्वा पश्चिम
		42	03 बिस्वा पश्चिम
		46	1.07 बीघा
		92	7.06 बी0 पश्चिम
		98	6.05 बी0 मध्य
दुर्जनपुरा	10	91/1	17 बिस्वा पूर्वी

कुल किता 6 कुल रकबा 16.08 बीघा

(2) यह कि राजीनामे मे प्रतिवादी क्रम 3 जयनारायण को प्राप्त भूमि

ग्राम	खाता सं0	ख0न0	रकबा
दुर्जनपुरा	99	27	11 बिस्वा मध्य
		42	02 बिस्वा दक्षिण
		92	7.05 बी0 मध्य
		98	6.04 बी0पूर्वी
दुर्जनपुरा	10	91／1	15 बिस्वा

कुल किता 5 कुल रकबा 14.17 बीघा

(3) यह कि राजीनामे मे प्रतिवादी क्रम 4 पुरूषोत्तम को प्राप्त भूमि

ग्राम	खाता सं0	ख0न0	रकबा
दुर्जनपुरा	99	27	11 बिस्वा पूर्वी
		42	02 बिस्वा पूर्वी
		92	7.05 बी0 पूर्वी
		98	6.04 बी0 पश्चिम
दुर्जनपुरा	10	91／1	15 बिस्वा पश्चिम

कुल किता 5 कुल रकबा 14.17 बीघा

3. यह कि राजीनामे के अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 वादग्रस्त भूमि मे से अपना हिस्सा नही लेना चाहता है तथा अपने हिस्से को अपने तीनो पुत्रो वादी पवन कुमार व प्रतिवादी क्रम 3 जयनारायण व प्रतिवादी क्रम 4 पुरूषोत्तम के पक्ष मे अपना हकत्याग करता है।
4. यह कि प्रतिवादिया क्रम 2 कल्याणीबाई वादग्रस्त भूमि मे कोई हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अपने भतीजो वादी पवन कुमार व प्रतिवादी क्रम 3 जयनारायण व प्रतिवादी क्रम 4 पुरूषोत्तम के हक मे अपना हकत्याग करती है।
5. यह कि प्रतिवादिया क्रम 5 केलाश बाई प्रतिवादिया क्रम 6 रूकमणी बाई प्रतिवादिया क्रम भूली बाई व प्रतिवादिया क्रम 8 पार्वती बाई वादग्रस्त भूमि मे कोई हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अपने भाइयो वादी पवन कुमार व प्रतिवादी क्रम 3 जयनारायण व प्रतिवादी क्रम 4 पुरूषोत्तम के ह कमे अपना हकत्याग करती है।
6. यह कि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 3 व 4 राजीनामे मे प्राप्त भूमि पर काबिज काश्त हो गये है। एवं वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अब कोई विवाद शेष नही रहा है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुये वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक कर वादग्रस्त भूमि की खाता सं0 99 व 10 की भूमि का एक ही खाता बनाया जाकर राजीनामे मे वादी को प्राप्त भूमि ग्राम दुर्जनपुरा ख0न0 27 रकबा 10 बिस्वा पश्चिम, ख0न0 42 रकबा 03 बिस्वा पश्चिम, ख0न0 46 रकबा 1.07 बीघा, ख0न0 92 रकबा 7.06 बी0 पश्चिम, ख0न0 98 रकबा 6.05 बी0 मध्य एवं ख0न0 91／1 रकबा 17 बिस्वा पूर्वी किता 6 कुल रकबा 16.08 बीघा पर वादी पवन कुमार को खातेदार घोषित किया जाकर विवादित भूमि से पृथक किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक से वादी का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे। एवं राजीनामे में प्रतिवादी क्रम 3 जयनारायण को प्राप्त भूमि ग्राम दुर्जनपुरा ख0न0 27 रकबा 11 बिस्वा मध्य, ख0न0 42 रकबा 02 बिस्वा दक्षिणी,ख0न0 92 रकबा 7.05 बी0 मध्य, ख0न0 98 रकबा 6.05 बी0पूर्वी एवं ख0न0 91／1 रकबा 15 बिस्वा मध्य कुल किता 5 कुल रकबा 14.17 बीघा पर प्रतिवादी क्रम 3 जयनारायण को खातेदार घोषित किया जाकर विवादित भूमि से पृथक किया जाकर राजस्व

रिकॉर्ड में पृथक से प्रतिवादी क्रम 3 जयनारायण का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे। एवं राजीनामे मे प्रतिवादी क्रम 4 पुरूषोत्तम को प्राप्त भूमि ग्राम दुर्जनपुरा ख0न0 27 रकबा 11 बिस्वा पूर्वी, ख0न0 42 रकबा 02 बिस्वा पूर्वी,ख0न0 92 रकबा 7.05 बी0 मध्य, ख0न0 98 रकबा 6.04 बी0पश्चिमी एवं ख0न0 91/1 रकबा 15 ि बिस्वा पश्चिमी मध्य कुल किता 5 कुल रकबा 14.17 बीघा पर प्रतिवादी क्रम 4 पुरूषोत्तम को खातेदार घोषित किया जाकर विवादित भूमि से पृथक किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड से पृथक से प्रतिवादी क्रम 4 पुरूषोत्तम का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे एवं वादी एवं प्रतिवादी क्रम 3 व 4 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह राजीनामा मे प्राप्त भूमि पर एक दूसरे के कब्जे काश्त मे दखलंदाजी व व्यवधान उत्पन्न नही करें।

राजीनामा में वादी की पहचान अधिवक्ता सत्यनारायण गोयल ने की प्रतिवादीगण की पहचान एड0 एस0के0 राणा ने की। राजीनामा तस्दीक किया गया। राजीनामानुसार इस आशय का निर्णय पारित किया जाता है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

कि वाकेग्राम दुर्जनपुरा खाता सं0 99 व 10 की भूमि का एक ही खाता बनाया जाकर ख0न0 27 रकबा 10 बिस्वा पश्चिम ख0न0 42 रकबा 3 बिस्वा, पश्चिमी, ख0न0 46 रकबा 1.07 बीघा, ख0न0 92 रकबा 7.06 बीघा पश्चिमी ख0न0 98 रकबा 6.05 बीघा मध्य ख0न0 91/1 रकबा 17 बिस्वा पूर्वी कुल किता 6 कुल रकबा 16.08 बीघा पर वादी पवन कुमार को खातेदार घोषित किया जाकर पृथक से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते है एव वाकेग्राम दुर्जनपुरा ख0न0 27 रकबा 11 बिस्वा मध्य ख0न0 42 रकबा 02 बिस्वा दक्षिणी ख0न0 92 रकबा 7.05 बीघा मध्य,ख0न0 98 रकबा 6.04 बीघा पूर्वी ख0न0 91/1 रकबा 15 बिस्वा मध्य कुल किता 5 कुल रकबा 14.17 बीघा पर प्रतिवादी क्रम 3 जयनारायण को खातेदार घोषित किया जाकर पृथक से राजस्व रिकॉर्ड के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते है। वाकेग्राम दुर्जनपुरा की आराजी ख0न0 27 रकबा 11 बिस्वा पूर्वी ख0न0 42 रकबा 02 बिस्वा पूर्वी ,ख0न0 92 रकबा 7.05 बी0 पूर्वी ख0न0 98 रकबा 6.04 की पश्चिमी एवं ख0न0 91/1 रकबा 15 बिस्वा पश्चिमी कुल किता 5 कुल रकबा 14.17 बीघा पर प्रतिवादी क्रम 4 पुरूषोत्तम को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक से दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो निर्णय आज दिनांक 21.06.2019 को सरेइजलास सुनाया गया।

(चन्दन दुबे)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandan Dubey
Date: 2019.07.15 16:00:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: